लालसिंह बनाम अटल बिहारी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	मु.नं. 1 22/20
25/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थी लालसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आपत्ति कुरेजात तथा प्रार्थी अटल बिहारी पुत्र रामनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आपत्ति कुरेजात पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। उक्त उभयपक्ष वकील दोनों आपत्ति कुरेजात प्रा०पत्र, पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत कुरेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं पत्रावली व कुरेजात के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी लालसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आपत्ति कुरेजात तथा प्रार्थी अटलबिहारी पुत्र रामनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आपत्ति कुरेजात खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को लिखित सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकॉर्ड के कुरेजात बनाया जाना प्रकट होने से कुरेजात स्वीकार किया जाकर वादी वाद दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 192/2024 तथा (04/2025 कन्सोलिडेट दावा पत्रावली)
प्रकरण दायर दिनांकः– 30.12.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 25.02.2026
लालसिंह बनाम अटलबिहारी
कैलाश बनाम अटलबिहारी (कन्सोलिडेट निर्णय)

उनवान

1. लालसिंह पुत्र रामनारायण उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी झज्जर की ढाणी बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

:–वादी

बनाम

1. अटल बिहारी पुत्र रामनारायण उम्र 40 वर्ष
2. कैलाश चन्द्र पुत्र रामनारायण उम्र 60 वर्ष
3. बीला पुत्री रामनारायण उम्र 47 वर्ष
4. स्वास्तिका पुत्री रामनारायण उम्र 42 वर्ष
5. विशवराज पुत्र रामनारायण उम्र 45 वर्ष
   समस्त जाति माली निवासी झज्जर की ढाणी बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. उपपंजीयक एवं सबरजिस्ट्रार बांदीकुई, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण निर्णय दिनांक 25.02.2026

वादी एडवोकेटः– श्री भगवानसहाय सैनी
प्रतिवादी संख्या 2 व 5 एडवोकेटः– श्री हंसराज जांगिड
प्रतिवादी संख्या 1 एडवोकेटः– श्री गोपाल बंधु

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री भगवानसहाय सैनी के इस आशय से पेश किया कि भूमि काश्त खाता संख्या नया 26 खसरा नम्बर 103 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 211/93 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.29 हैक्टे कुल किता 13 कुल रकबा 1.12

हैक्टेयर वार्षिक लगानी 44.28 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा तथा खाता संख्या नया 27 खसरा नम्बर 100 रकबा 0.04 हैक्टे. खसरा नम्बर 101 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 114 रकबा 0. 14 हैक्टे, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 96 रकबा 0. 05 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 19.94 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित चली आ रही है। जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 भी 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार है। इस भूमि को आगे इस वादपत्र में भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 वादपत्र के साथ संलग्न है। वादपत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने अपने बुजुर्गान के समय से अपने– अपने हिस्से अनुसार बाहमी रूप बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर बिना किसी विघ्न व विरोध के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य भूमि के कम ज्यादा रकबे को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है व भूमि मुतदाविया में बुवाई और कटाई के समय आपसी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे पक्षकारान के मध्य संगीन झगडा फिसाद होने की सम्भावना बनी रहती है तथा पक्षकारान को सरकार द्वारा दी जाने वाले कृषक सहायता को प्राप्त करने में भी भारी असुविधा का सामना करना पडता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 खूंखार किस्म के झगडालू प्रवृती के लोग है जो जबरन वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि पर अपने धनबल व बाहुबल से जबरन अवैध रूप से खाम व पुख्ता निर्माण कर व जबरिया कब्जा करने के लिये वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। ऐसी सूरत में वादीगण भूमि मुतदाविया का रास्तों व कब्जे को ध्यान में रखते हुये विधिवत सरस नरस अनुसार तकास्मा करवाकर अपना 1/6–1/6 हिस्से का अलग पर्चा पासबुक जारी करवाकर लगान का विभाजन करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। भूमि मुतदाविया का वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बतौर मालिक उपयोग उपभोग करने एंव लाभान्वित होने का विधिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। प्रतिवादीगण अथवा किसी दीगर सख्स को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कि भूमि मुतदाविया में वादीगण के हिस्से उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे किन्तु प्रतिवादीगण बिना भूमि का विधिवत तकास्मा करवाये ही वादीगण के हिस्से की भूमि मुतदाविया पर अवैध रूप से निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व भूमि मुतदाविया मे मौके की भूमि पर जबरन अवैध रूप से बोरिंग करने एंव निर्माण कर भूमि मुतदाविया को रहन बय करने पर आमदा हो रहे है और यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती

किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को गैर जरूरी किस्म के मुकदमात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध प्रस्तुत करने पड़ेंगे जिससे वादीगण का समय एवं श्रम जाया होकर आर्थिक क्षति होगी। ऐसी सूरत में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को न्यायालय हाजा से इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 स्वंय, जरिये अपने नौकर, ऐजेन्ट, परिवारजन, मददगारान सहित वादपत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि मुतदाविया में बिना विधिवत तकास्मा हुये वादीगण को उसके कब्जे व हिस्से की भूमि से बेदखल करने से किसी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने से, वादीगण को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारों में बाधा कारित करने व रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 अथवा उनमें से किसी के द्वारा भूमि मुतदाविया के किसी भी प्रकार के अन्तरण सम्बन्धि दस्तादेज को पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत करने पर 6 ऐसे किसी अन्तरण सम्बन्धि दस्तावेज को पंजीकृत करने से सदैव के लिये प्रतिबन्धित रहें। तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 सदैव के लिये प्रतिबन्धित रहे। गत दिनांक 23.12.2024 को वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि मुतदाविया में प्रतिवादीगण जबरन बल प्रयोग कर मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा की यह भूमि हमारे कब्जे काश्त व खातेदारी की है इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। तथा निर्माण करने से पूर्व आप भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवा लो तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व उनके मददगारान नाराज हो गये और वादीगण के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो गये। वादीगण गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो प्रतिवादीगण का धनबल व बाहूबल में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभाव व धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है जो सांठ गांठ कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व एलानिया धमकी दे रहे है कि हम जबरिया कब्जा व निर्माण करके रहेंगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो तुमसे जो हो सकता है करलो। प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदों से बाज नही आ रहे है यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो पायेगी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर विधिवत तकास्मा करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत करना लाजमी आया है। राज्य सरकार के नुमाईन्दो के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. के नोटिस दिये जाने के आवश्यक प्रावधान है लेकिन यदि प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 को नोटिस दिया गया तो अन्य प्रतिवादीगण नोटिस मियाद अवधि में भूमि मुतदाविया की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तिन कर देगे ऐसी स्थिति में दावा अर्जेन्ट नेचर का होने से बिना धारा 80 जा.दी. नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है धारा 80 जा.दी. को नोटिस

दिये जाने में छूट हेतु धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र जुदागाना प्रस्तुत है। वादकारण दिनांक 23.12.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाजायज मकसदो की पूर्ति के लिये भूमि मुतदाविया पर जबरन पुख्ता निर्माण करने पर आमादा होने तथा वादीगण को उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने से व भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने से इन्कार करने तथा दीगर व्यक्ति को रहन बय अन्तरित करने की धमकी देने से पैदा होकर वादपत्र अन्दर मियाद पेश है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से व पक्षकारान साकूनत न्यायालय हाजा में होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्नांकित भांति से डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह कि भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 26 खसरा नम्बर 103 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 108 रकबा 0. 03 हैक्टे, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 110 रकबा 0. 04 हैक्टे, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 211/93 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.29 हैक्टे कुल किता 13 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 44.28 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा तथा खाता संख्या नया 27 खसरा नम्बर 100 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 19.94 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार यथा सम्भव कब्जा सरस–नरस इकजाई व रास्तो को ध्यान में रखते हुये तकसीम की जाकर वादीगण प्रत्येक के हिस्से 1/6–1/6 का अलग चक कायम किया जाकर अलग खाता व पासबुक जारी की जावें व लगान का विभाजन किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे की वे भूमि मुतदाविया खाता खाता संख्या नया 26 खसरा नम्बर 103 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.03 हैक्टे, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.16 हैक्टे, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 211/93 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.29 हैक्टे कुल किता 13 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 44.28 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा तथा खाता संख्या नया 27 खसरानम्बर 100 रकबा 0.04 क्टे, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नम्बर 114

रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.50 हैक्टे, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 19.94 रूपये वाके रामा मोराडी चक 3 पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रतिवादीगण स्वंय जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से बोरिंग करने से वादीगण को भूमि मुतदाविया में प्राप्त विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत पैदा करने से एवं वादीगण के विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने से, रहन बय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से तथा प्रतिवादी संख्या 07 के समक्ष प्रस्तुत होने भूमि मुतदाविया से सम्बन्धित किसी प्रकार के रहन बय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण सम्बन्धि विलेख को पंजीकृत करने से प्रतिबन्धित रहे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

(स) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 से दिलाया जावे।

(द) अन्य कोई मदद बहक वादीगण जो न्यायालय मुनासिफ समझे दिलायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से एड. श्री गोपाल बंधु उपस्थित आयें। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 की ओर से एड. श्री हंसराज जांगिड उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6 व 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 05 द्वारा जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बंद किया गया। दिनांक 11.11.2025 को पत्रावली मुकदमा संख्या 04/2025 कैलाश बनाम अटलबिहारी समान पक्षकार एवं समान इस्तदुआ होने के कारण इस प्रकरण में कन्सोलिडेट की गयी।

उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रकट की गयी एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादी वाद दिनांक 02.12.2025 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांक: 517 दिनांक 27.01.2026 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी अटल बिहारी पुत्र रामनारायण द्वारा आपत्ति कुरेजात पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में कुरैजात आ चुके है जो मौके के विपरीत है। वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती कुँआ आराजी खसरा नंबर 109 में कुँआ है जिसमे आने जाने के लिये आराजी खसरा नंबर 110 में होकर रास्ता है जिसे कैलाश के नाम गलत तरीके से लगा दिया है जिसके कारण कोई भी सह खातेदार अपने शामलाती कुऐं पर आने जाने से अवरूद्ध हो जायेगे। अतः कुरैजात खारिज फरमाया जाने बाबत निवेदन किया। एवं प्रार्थी/वादी लालसिंह द्वारा आपत्ति कुरैजात प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि उपरोक्त अनुवानी मुकदमें में प्राथमिक डिकी होकर अन्तिम डिकी बाबत कुरैजात तहसीलदार बांदीकुई ने प्रस्तुत किये है। उक्त कुरैजात प्रतिवादीगण को

बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से बिलकुल गलत एवम मौके की स्थिति के विपरित नियम विरूद्ध किये है जिसकी बाबत आपत्ति मिन प्रार्थी/वादी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत है। हल्का पटवारी ने भूमि ख० न0 111 रकबा 0.1600 है0 एवम ख० न० 114 रकबा 0.1400 है० है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है तथा ख० न0 97 रकबा 0.2900 है० पर प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है इसके बावजूद भी उसके कब्जे की नियमों की अवहेलना कर ख० न0 111 में से एवम ख० न0 114 में से भूमि प्रतिवादीगण को खातेदारी बाबत दे दी है जबकि ख० न० 106, 110, 111 रोड पर है जो कि कीमती जमीन है जिसमें प्रार्थी को सरस नरस के हिसाब से 1/6 हिस्सा की भूमि नहीं दी है जो नियमों की अवहेलना कर कुरैजात प्रस्तुत किये है ऐसी सूरत में कुरैजात पुनः मंगवाये जाना न्यायोचित एवं लाजमी है। वादी एवम प्रतिवादीगण ने ख० न० 108 रकबा 0.03 है० में एक शामलाती शिव मन्दिर स्थापित कर रखा है वो भूमि भी शामलात में नही दिखाई है जबकि मन्दिर का निर्माण वादी एवम प्रतिवादी ने सयुक्त रूप से किया है तथा सभी पूजा पाठ करते है। जबकि खसरा नंबर 108 की भूमि प्रतिवादी कैलाश को नियमो की अवहेलना कर कुरैजात प्रस्तुत किये है ऐसी सूरत में कुरैजात पुनः मगवाये जाना न्यायोचित एवम लाजमी है। वादी लालसिह को पटवारी हल्का ने भूमि ख० न० 96 रकबा 0.3 है०, ख० न० 100 रकबा 0.4 है०, ख० न0 101 रकबा 0.5 है०, ख० न० 97 रकबा 0.20 है० कुल रकबा 0.32 है० दी है जो कि नले की तरफ है जिसमे जाने के लिए रास्ते का भी ध्यान नही रखा है तथा सरस नरस के हिसाब से भी कुरैजात प्रस्तुत नही किये है ऐसी सूरत मे कुरैजात पुनः मंगवाये जाना न्यायोचित एवम लाजमी है। ख० न0 109 में शामलाती कुआँ है उक्त ख० न० की भूमि भी प्रतिवादी कैलाश को दे दी है जबकि कुओं की भूमि वादी एवम प्रतिवादी के शामलात में रहनी चाहिए थी ऐसी स्थिति में उक्त कुरैजात प्रतिवादीगण को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से बिलकुल गलत एवम मौके की स्थिति के विपरीत नियम विरूद्ध किये है ऐसी सूरत में कुरैजात पुनः मगवाया जाना न्यायोचित एवम लाजमी है। अन्य उज्रात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः आपत्ती कुरैजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कुरैजात निरस्त फरमाया जाकर संशोधित कुरैजात बाबत तहसीलदार बांदीकुई को आदेशित फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 02 की ओर से एड. श्री हंसराज जांगिड द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस की गयी कि उक्त भूमि मुतदाविया का हल्का पटवारी ने तहसीलदार की मौजूदगी में मौके पर जाकर उक्त कुरैजात तैयार किये हैं। वादी एवं प्रतिवादी का उक्त भूमि में दर्ज जमाबंदी अनुसार हिस्सा है। हिस्सेनुसार पक्षकारान को भूमि मिली है उक्त कुरैजात सरस–नरस के आधार पर तैयार किये गये है। वादी लालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 01 अटलबिहारी द्वारा बेवजह न्यायालय का समय बर्बाद करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। कुरैजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.)

बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/वादी लालसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अटल बिहारी पुत्र रामनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर उक्त दोनो वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद लालसिंह बनाम अटल बिहारी (प्रकरण संख्या 192/2024) एवं कन्सोलिडेट वाद कैलाशचंद बनाम अटलबिहारी (प्रकरण संख्या 04/2025) दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, उक्त दोनो वाद स्वीकार किये जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियाँ	प्रस्तावित कुरैजात				
	क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
राजस्व ग्राम–मोराडी चक–3	1.	अटल बिहारी पुत्र रामनारायण हि. पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	111/1	0.07	चाही 1
			112/1	0.01	चाही 1
			113/1	0.04	चाही 1
			114/1	0.05	चाही 1
			65/1	0.15	बारानी 1
			किता 5	0.32	

	2.	कैलाशचन्द पुत्र रामनारायण हि.पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	106	0.09	चाही 1
			107	0.03	गै.मु. चाह
			108	0.03	चाही 1
			109/1	0.02	चाही 1
			110	0.04	चाही 1
			किता 5	0.21	
	3	लालसिंह पुत्र रामनारायण हि. पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	100	0.04	चाही 1
			101	0.05	चाही 1
			96/1	0.03	चाही 1
			97/1	0.20	चाही 1
			किता 4	0.32	
	4	विश्वराज पुत्र रामनारायण हि. पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	111/3	0.05	चाही 1
			114/3	0.02	चाही 1
			66/2	0.04	चाही 1
			68/1	0.03	चाही 1
			68/3	0.01	चाही 1
			65/3	0.17	बारानी 1
			किता 6	0.32	
	5	कैलाश पुत्र रामनारायण हि. 10/29 , बीला पुत्री रामनारायण हि. 19/29 जाति माली सा.देह खातेदार	67	0.10	चाही 1
			68/2	0.09	चाही 1
			103	0.10	चाही 1
					जाव 1
			किता 3	0.29	
	6	बीला पुत्री रामनारायण हि. पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	211/93	0.02	चाही 1
			96/2	0.02	चाही 1
			97/2	0.09	चाही 1
			किता 3	0.13	

	7	स्वास्तिका पुत्री रामनारायण हि. पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार	111/2	0.03	चाही 1
			112/2	0.03	चाही 1
			113/2	0.01	चाही 1
			114/2	0.06	चाही 1
			66/1	0.01	चाही 1
			65/2	0.18	बारानी 1
			किता 6	0.32	
	8	अटल बिहारी, कैलाशचन्द, लालसिंह, विश्वराज पुत्र रामनारायण बीला, स्वास्तिका पुत्री रामनारायण हि.ब. जाति माली सा.देह खातेदार	109/2	0.02	चाही 1
			111/4	0.01	चाही 1
			114/4	0.01	चाही 1
			66/3	0.01	चाही 1
			किता 4	0.05	

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

25/2/26

(रामसिंह रजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई मुकाम–बॉंदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई

प्रकरण संख्या:– 192/2024 तथा (04/2025 कन्सोलिडेट दावा पत्रावली)
प्रकरण दायर दिनांक:– 30.12.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 25.02.2026
लालसिंह बनाम अटलबिहारी
कैलाश बनाम अटलबिहारी (कन्सोलिडेट निर्णय)

उनवान

1. लालसिंह पुत्र रामनारायण उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी झज्जर की ढाणी बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

:–वादी

बनाम

1. अटल बिहारी पुत्र रामनारायण उम्र 40 वर्ष
2. कैलाश चन्द्र पुत्र रामनारायण उम्र 60 वर्ष
3. बीला पुत्री रामनारायण उम्र 47 वर्ष
4. स्वारितका पुत्री रामनारायण उम्र 42 वर्ष
5. विशवराज पुत्र रामनारायण उम्र 45 वर्ष
   समस्त जाति माली निवासी झज्जर की ढाणी बडवाली तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. उपपंजीयक एवं सबरजिस्ट्रार बांदीकुई, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण निर्णय दिनांक 25.02.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री भगवानसहाय सैनी एवं हाजिरी प्रतिवादीगण संख्या 01 वकील श्री गोपाल बंधु एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 05 वकील श्री हंसराज जागिड मिनजानिब मुदई रूबरू ..... मिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉंदीकुई द्वारा पक्षकारो को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी/वादी लालसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 अटल बिहारी पुत्र रामनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरैजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉंदीकुई द्वारा पक्षकारो को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर उक्त दोनो वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद लालसिंह बनाम अटल बिहारी (प्रकरण संख्या 192/2024) एवं कन्सोलिडेट वाद कैलाशचंद बनाम अटलबिहारी (प्रकरण संख्या 04/2025) दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, उक्त दोनो वाद स्वीकार किये जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार बॉंदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जयें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ये वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें।कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

निज.....मुद्दालिग.....बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई